



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
भागूराम पुत्र गानुयम गुर्जर डाण्डपुय		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	347/2021	GCMS No. 2021/1154
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
14.12.2021	<p>वादी श्री भागूराम पुत्र गानुयम जाति गुर्जर निवासी डाण्डपुय द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत के मा के मा में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 ग्राम डाण्डपुय पटवार मण्डल डाण्डपुय के खाता नम्बर 20 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि भागूराम पुत्र गानुयम दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम भागूराम पुत्र गानुयम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 00 8380500274 आधार नम्बर 52442922 7169 मतदाता पहचान पत्र 65R/1510718 अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी डाण्डपुय भू.अ.नि फिलिया एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसारनाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>	
		 उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

1398-140

